http://www.lakhimpurlive.com/2014/11/01

कृषि योजनाओं मे लाभ के लिए पंजीकरण कराना हुआ अनिवार्य

राजू अग्रवाल,लखीमपुर खीरी / उप कृषि निदेशक, डा0 शिव कुमार केशरी ने बताया कि कृषि विभाग की योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु कृषि के विकास हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी का उपयोग योजनान्तर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं मे कृषकों/लाभार्थियों/मजदूरों द्वारा कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अपना पंजीकरण कराकर योजनाओं का लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज लाभार्थी की पहचान हेतु मतदाता पहचान-पत्र/आधार कार्ड/राशन कार्ड/पासपोर्ट मे से कोई एक, भूमि की पहचान हेतु खतौनी, खाते मे सीधे लाभ पहुॅचाने के लिए बैंक पासबुक का पूर्ण विवरण अंकित हो, योजना के टोल फ्री नम्बर 1800-200-1050 पर सुविधा निशुल्क, वेबसाइट न आवेदन करके पंजीकरण कराने के उपरान्त सात दिन के अन्दर आवेदन पत्र राजकीय कृषि बीज भण्डार/कार्यालय उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी/कार्यालय उप कृषि निदेशक के यहां फार्म जमा करेंगे। आवेदन पत्र पर संलग्नक अभिलेखों पर पंजीकरण संख्या अनिवार्य है /